प्रेस विज्ञप्ति

10.12.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम जोनल कार्यालय ने 26.06.2024 को माननीय विशेष न्यायालय, गुरुग्राम के समक्ष सिकंदर सिंह पुत्र धरम सिंह चोकर (पूर्व विधायक, समालखा, पानीपत, हरियाणा), मेसर्स माहिरा इंफाटेक प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स डीएस होम कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दर्ज की है। माननीय न्यायालय ने 05.12.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है।

इस मामले में, मेसर्स माहिरा इन्फैटेक प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स जार बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स माहिरा बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड ने हजारों घर खरीदारों से किफायती आवास योजना के तहत क्रमशः गुरुग्राम के सेक्टर 68, सेक्टर 103 और सेक्टर 104 में घर उपलब्ध कराने का वादा करके लगभग 616.41 करोड़ रुपये एकत्र किए थे, लेकिन घर देने में विफल रहे और कई समय सीमाएं चूक गईं और घर खरीदारों से एकत्र धन को अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए डायवर्ट कर दिया।

ईडी की जांच से पता चला है कि मेसर्स माहिरा इंफैटेक प्राइवेट लिमिटेड ने ग्रुप संस्थाओं में फर्जी निर्माण व्यय दर्ज करके और आभूषण खरीदने, शादी के खर्च आदि जैसे असंबंधित व्यक्तिगत खर्च करके घर खरीदारों के पैसे हड़प लिए थे। माहिरा ग्रुप के निदेशकों/प्रवर्तकों द्वारा फर्जी बिल/चालान प्रदान करने वाली संस्थाओं से फर्जी खरीद के बराबर नकद राशि वापस प्राप्त की गई, जिसका इस्तेमाल निजी लाभ के लिए किया गया। निदेशकों/प्रवर्तकों ने निजी लाभ के लिए घर खरीदारों के पैसे को अन्य ग्रुप संस्थाओं में ऋण के रूप में डायवर्ट किया [जो वर्षों से बकाया है]।

इस मामले में, इससे पहले ईडी ने 25.07.2023 को विभिन्न जुड़े परिसरों में तलाशी ली थी और कई आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए थे। अब तक ईडी की जांच के परिणामस्वरूप 36.52 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है, जिसकी पुष्टि न्यायनिर्णयन प्राधिकरण ने की है। अन्य आरोपी व्यक्ति धरम सिंह चोकर (पूर्व विधायक, समालखा, पानीपत, हरियाणा) और उनके बेटे विकास चोकर फरार हैं और जांच में शामिल नहीं हुए हैं।